लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। आवश्यकता के अनुसार इसमें समय-समय पर अनेक सुधार किये गये हैं जिनके फलस्वरूप आज यह अपने मानक रूप में प्रतिष्ठित है। मानकीकरण से हिन्दी के विकास और प्रसार में गति आई है तथा उसमें यन्त्रीकरण में सहायता मिली है। देवनागरी के वर्णों के रूप और आकार को मानक रूप प्रदान करने के लिए व्यक्तियों, संस्थाओं और सरकारों का ध्यान निरन्तर जाता रहा। १९५३ ई० का लखनऊ सम्मेलन इस दिशा में एक ठोस कदम था। यह सम्मेलन सार्वदेशिक था पर उत्तरप्रदेश सरकार की पहल पर लखनऊ में हुआ। इस सम्मेलन में की गई सिफारिशों को भारत सरकार ने सन् १९५५ में स्वीकार कर लिया था पर इसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए व्यावहारिक कठिनाइयों के हल के लिए पुनः सन् १९५७ में सम्मेलन बुलाया गया। इससे पहले काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक अन्य समिति भी अपने सुझाव दे चुकी थी। फलतः सभी व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने विशेष सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया। अगस्त १९५९ में शिक्षा मन्त्रियों के सम्मेलन में इसको अन्तिम रूप दिया गया।

जिन वर्णों के दो-दो रूप प्रचलन में थे, उनमें से एक का मानकीकरण कर दिया गया, जैसे,

| प्रचलित रूप | | मानक रूप |
|---|---|---|
| अ | अ्र | अ |
| झ | झ | झ |
| ण | रा | ण |

'ख' से भ्रम होने के कारण 'ख' को 'ख' रूप दिया गया।

जिन अन्य वर्णों से अन्य वर्णों का भ्रम होता था उनको भिन्न रूप प्रदान किया गया, जैसे, ध, भ, छ क्रमशः ध, भ, छ के नवीन रूप स्वीकृत किये गए।

संयुक्ताक्षर बनाने की प्रणाली स्थिर कर दी गई :—

(अ) खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर बनाया गया, जैसे,

| | | |
|---|---|---|
| ख्+य | =ख्य | (मुख्य) |
| ग्+घ | =ग्घ | (बग्घी) |
| ग्+न | =ग्न | (अग्नि) |
| घ्+न | =घ्न | (विघ्न) |
| च्+च | =च्च | (बच्चा) |
| ज्+य | =ज्य | (ज्योति) |
| ण्+ठ | =ण्ठ | (कण्ठ) |
| त्+य | =त्य | (त्याग) |

| | | |
|---|---|---|
| थ् + य | = थ्य | (तथ्य) |
| ध् + य | = ध्य | (ध्यान) |
| न् + ध | = न्ध | (कन्धा) |
| प् + त | = प्त | (गुप्त) |
| ब् + ज | = ब्ज | (ब्याज) |
| म् + ब | = म्ब | (लम्बा) |

(आ) क् और फ् को जोड़ते समय क्रमशः 'क' तथा 'फ' रूप दिया गया, जैसे

| | | |
|---|---|---|
| क् + ष | = क्ष | (मक्खी) |
| फ् + ल | = फ्ल | (अफ्ल) |
| फ् + त | = फ्त | (मुफ्त) |

(इ) ट, ठ, ड, ढ, द, ह, ङ, छ के संयुक्ताक्षर हल् चिह्न लगाकर ही बनाए जाएँ, जैसे,

| | | |
|---|---|---|
| ट् + ट | = ट्ट | (लट्टू) |
| ट् + ठ | = ट्ठ | (चिट्ठी) |
| ड् + ड | = ड्ड | (लड्डू) |
| ड् + ढ | = ड्ढ | (गड्ढा) |
| ढ् + य | = ढ्य | (धनाढ्य) |
| द् + य | = द्य | (विद्यार्थी) |
| द् + म | = द्म | (पद्म) |
| ह् + न | = ह्न | (चिह्न) |
| ह् + म | = ह्म | (ब्रह्म) |
| ङ् + म | = ङ्म | (वाङ्मय) |

(ई) संयुक्त 'र' के प्रचलित तीनों रूप यथावत् रखे गये, जैसे,

| | | |
|---|---|---|
| ग् + र | = ग्र | (ग्रह, ग्राम) |
| प् + र | = प्र | (प्रकार) |
| र् + च | = र्च | (चर्चा) |
| र् + म | = र्म | (धर्म) |
| र् + य | = र्य | (कार्य) |
| ट् + र | = ट्र | (राष्ट्र) |

(उ) 'श्र' का प्रचलित रूप मान्य समझा जाएगा,

| | | |
|---|---|---|
| ष् + र | = श्र | (श्रम) |

(ऊ) त् + र के संयुक्त रूप 'त्र' तथा 'त्र' दोनों मान्य होंगे, जैसे 'सर्वत्र' या 'सर्वत्र'।

संस्कृत में चाहें तो संयुक्ताक्षर पुरानी शैली में लिखे जा सकेंगे।

Scanned with CamScanner

उपर्युक्त निर्णयों/बातों को ध्यान में रखते हुए नागरी लिपि को मानक रूप प्रदान करने का कार्य 'केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय' को सौंपा गया जिसके अनुसार मानक हिन्दी वर्णमाला और अंक इस प्रकार हैं :

(१) सर्वनाम और विभक्तियों के बीच 'ही', 'तक' आदि का निपात हो तो विभक्तियों को पृथक् लिखा जाए; यथा आप ही के लिए, मुझ तक को।

(२) संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाएँ पृथक् लिखी जाएँ; जैसे पढ़ा करता है।

(३) 'तक', 'साथ' आदि अव्यय सदा पृथक् लिखे जाएँ; जैसे आपके साथ, यहाँ तक।

(४) पूर्वकालिक प्रत्यय 'कर' क्रिया से मिलाकर लिखा जाए; जैसे मिलाकर खा-पीकर।

(५) द्वन्द्व समास में पदों के बीच हाइफन रखा जाए; यथा राम-लक्ष्मण।

(६) 'सा', 'जैसा' आदि से पूर्व हाइफन रखा जाए, यथा तुम-सा, एक-जैसा।

(७) तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वहीं किया जाए जहाँ उसके बिना भ्रम होने की सम्भावना हो; यथा, भू-तत्त्व, रामराज्य।

(८) जहाँ श्रुतिमूलक य-व का प्रयोग विकल्प से होता है वहाँ न किया जाए अर्थात् गए-गये, नई-नयी, हुआ-हुवा आदि।

(९) हिन्दी में ऐ (ै) और (ौ) का प्रयोग दो प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के किए होता है। पहले प्रकार की ध्वनियाँ 'है', 'और' आदि में हैं तथा दूसरे प्रकार की गवैया, कौवा आदि में। इन दोनों प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए चिन्हों (ै, ौ) का प्रयोग किया जाए—शमय्या, कउआ आदि नहीं।

देवनागरी का मानकीकरण करते समय इस बात को हमेशा ध्यान में रखा गया कि यह लेखन और मुद्रण के आधुनिक उपकरणों के लिए भी उपयुक्त रहे और इस दृष्टि से जो कमियाँ थीं उनका निराकरण कर दिया गया। वर्णमाला के रूप, संयुक्ताक्षरों के लिए निर्धारित करने के बाद जो प्रमुख कार्य और किया है वह है हिन्दी वर्तनी के रूप में एकरूपता और निश्चितता। इस सम्बन्ध में प्रस्तुत सिफारिशें जो स्वीकृति पा चुकी हैं यहाँ उनका उल्लेख करना समीचीन होगा।

"हिन्दी, संघ और कुछ राज्यों की राजभाषा स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप देश के भीतर और बाहर हिन्दी सीखने वालों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो जाने के कारण हिन्दी वर्तनी की मानक पद्धति का निर्धारण करना बहुत आवश्यक और कालोचित जान पड़ा क्योंकि हिन्दी शब्दों की वर्तनियों में अधिकाधिक एकरूपता लाया जाना हितकर समझा गया। तदनुसार शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार ने १९६१ में हिन्दी वर्तनी की मानक पद्धति निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ

Scanned with CamScanner

समिति नियुक्त की। इस समिति में गम्भीर विचार-विमर्श के बाद वर्तनी के सम्बन्ध में नियमावली निर्धारित की गई—

(१) हिन्दी के विभक्ति चिह्न सर्वनामों के अतिरिक्त सभी प्रसंगों में प्रतिपदिक से पृथक् लिखे जाएँ, यथा राम ने, स्त्री को, मुझको। परन्तु प्रेस की सुविधाओं को ध्यान में रख कर पत्र-पत्रिकाओं में संज्ञादि शब्दों में भी विभक्तियाँ मिलाने की छूट रहे।

**अपवाद** (क) सर्वनामों के साथ यदि दो विभक्ति-चिह्न हों तो उनमें से पहले को मिलाकर और दूसरे को पृथक् लिखा जाए जैसे उसके लिए; इसमें से।

हिन्दी भाषा : स्वरूप और विकास
कैलाशचन्द्र भाटिया
मोतीलाल चतुर्वेदी
प्रभात प्रकाशन, दिल्ली

Scanned with CamScanner